

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 229/2003

आरसीएमएस नं. :- 2003/00043

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मोमनराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. कृष्ण पुत्र संतु जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. रामजीलाल }
4. बृजलाल } पुत्र संतूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 28.04.2003, प्र. सं. 391/2002

अनवान मोमनराम आदि बनाम सरकार

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 10.11.22



यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के बाद अन्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि चक 8 एनटीआर व चक 10 एनटीआर की कुल 26 किला भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है जो वादी/रेस्पोंडेंट के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. रेस्पोंडेंट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी जो कभी भी रेस्पोंडेंट के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे

(Signature)


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोजेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोजेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नहीं

किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोजेण्ट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील में ग्राम 10 एनटीआर पटवार हल्का नेठराम की जमाबंदी संवत 2054 से 57 प्रस्तुत की है जिसमें प्रश्नगत गैरखातेदारी भूमि दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी भूमि है परन्तु प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोजेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के कथनों का किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक ~~10.11.22~~ को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (करतारसिंह पूनिया)
 राजस्थ अपील अधिकारी
 हनुमानगढ़